



राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लॉक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)-302015

राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लॉक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) - 302015

दूरभाष नं. 0141-2703387

विज्ञप्ति

हिन्दी सेवा पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा हिन्दी सेवा पुरस्कार के चयन हेतु निम्न विषयों में हिन्दी में पुस्तक लिखने वाले लेखकों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. हिन्दी साहित्य | 2. पत्रकारिता |
| 3. विज्ञान | 4. तकनीकी |
| 5. विधि | 6. कृषि |

उक्त विषयों में हिन्दी भाषा में पुस्तक लिखने वाले हिन्दी सेवा पुरस्कार के लिए इच्छुक लेखक विभागीय वेबसाईट www.bhashapustakalaya.rajasthan.gov.in से आवेदन का प्रारूप, नियम एवं शर्तें डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 31 मई, 2022

(यू.डी खान)
निदेशक एवं
विशिष्ट शासन सचिव



राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लॉक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)-302015

हिन्दी सेवा पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र

नवीनतम
हस्ताक्षरित
फोटो

1. आवेदक का नाम -
2. पिता/पति का नाम -
3. स्थाई पता -
4. संलग्न फोटो युक्त पहचान पत्र का विवरण -
5. विषय जिसमें आवेदन किया है -
6. प्रस्तुत पुस्तक का नाम व प्रकाशन वर्ष -
7. प्रकाशक का नाम व पता -
8. पुस्तक का आई.एस.बी.एन. नं. -

घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/कु.यह शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने हिन्दी सेवा पुरस्कार हेतु जारी निर्देश पूर्ण रूप से पढ़ लिये हैं एवं मैं इन निर्देशों, नियमों व शर्तों की पूर्ति करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही जानकारी मिथ्या पाई जावे या नियमानुसार नहीं पाई जावे तो मेरा आवेदन विभाग द्वारा निरस्त किये जाने पर मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत कृति (पुस्तक) मेरा मौलिक लेखन है। पुस्तक की एक प्रति मेरे आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न :- पुस्तक शीर्षक



राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लॉक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)-302015

आवेदन हेतु नियम एवं शर्तें -

पुरस्कार हेतु पात्रता -

1. लेखक राजस्थान का निवासी हो।
2. लेखक की आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
3. प्रस्तुत कृति पुस्तक स्वरूप में होनी चाहिए।
4. प्रस्तुत कृति मौलिक लेखन हो। अन्य भाषा से अनुदित रचनाएं विचारणीय नहीं होगी।
5. प्रस्तुत कृति पूर्व में राज्य स्तर, समकक्ष स्तर अथवा उच्च स्तर पर पुरस्कृत नहीं होनी चाहिए।
6. संबंधित विषय के अनुभवी व्यक्तियों की स्तरीय कृतियों पर ही विचार किया जायेगा।
7. एक लेखक एक समय में एक ही विषय (हिन्दी साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, तकनीकी, विधि अथवा कृषि) में पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकता है।
8. इस योजनान्तर्गत पुरस्कार प्राप्त लेखक 5 (पांच) वर्ष के पश्चात ही पुरस्कार हेतु पुनः आवेदन कर सकेंगे।
9. समिति के समक्ष पुरस्कार हेतु प्रस्तुत कृति 2 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी। उदाहरणार्थ वर्ष 2022 में उन कृतियों पर ही विचार किया जावेगा जो वर्ष 2020 में या इसके बाद की प्रकाशित हों।
10. आई.एस.बी.एन. पंजीकृत पुस्तकों पर ही विचार किया जायेगा।
11. निर्धारित तिथि (31 मई, 2022) के पश्चात् प्राप्त कृतियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।